वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा0 अबरार अहमद) : (क) और (ख) यह प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, जिसके माध्यम से विश्व बैंक का रियायती सहायता प्रदान की जाती हैं, के संसाधनों के दसवें पुनर्भरण से संबंधित अवधि के संदर्भ में है। इस अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से मिलने वाली रियायती सहायता की मात्रा के ब्यौरे तथा उन परियोजनाओं के ब्यौरे, जिनके लिए ऐसी सहायता प्राप्त करने हेतु अंतिम रूप से बातचीत की जाती है, को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) :

बैंक ऋण की अदायगी

1606. श्री ईश दत्त यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कई लोगों ने 20 लाख रुपए तथा इससे अधिक की राशि बैंकों से उधार ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) कितने लोगों ने नियमित रूप से ऋण की अदायगी नहीं की है ; और

(घ) सरकार हैं इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) से (ग) आंकड़ा सूचना प्रणाली से मांगे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती हैं। अलबत्ता, मार्च 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में बकाया ऋण वाले खातों की कुल संख्या 636.64 लाख (अद्यतन उपलब्ध) थी और तदनुरूप अवधि के लिए सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में उन खातों की संख्या जिनमें ऋण की राशि अतिदेय हो गई, 166.08 लाख थी।

(घ) ऋणकर्ता से बकाया राशि की वसूली करना एक सामान्य बैंकिंग क्रिया-कलाप होता है और सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं करते हैं। बहरहाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने अतिदेय राशियों को कम करने और वाणिज्यिक बैंकों के विभिन्न क्षेत्रों को उनके अग्रिमों के संबंध में वसूली संबंधी कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए भी विभिन्न उपाय किये हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. बैंकों पर एक ओर जरुरतमंदों और अर्थव्यवस्था के उत्पादात्मक क्षेत्रों के लिए बैंकों के दुर्लभ संसाधनों के पुर्निवेश में सहायता करने और दूसरी ओर, ऋण-दाता बैंकों की लाभप्रदता और अर्थक्षमता में सुधार करने के विचार से एक अर्थक्षम वसूली प्रणाली के प्रारम्भ करने पर बल दिया गया।

2. बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को बड़े अग्रिमों की निगरानी करने पर अपना व्यक्तिगत ध्यान देने को कहा गया हैं।

3. अलग-अलग अग्रिमों के, उनकी कारगर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन हेतु, स्वास्थ्य को दर्शाने के लिए एक व्यापक और समान ग्रेडिंग प्रणाली प्रारम्भ करना।

4. बड़े अवरुद्ध खातों की वसूली पर निगरानी रखना।

5. जहां अग्रिमों को अवरुद्ध पाया जाता हैं, सुधारात्मक कार्रवाई करना।

Seminar on black money

1607. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE;
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether at a seminar on Black money and Budget concessions on it